| आदेश की क्रम सं० एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

20/12/25

**न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।**

**एस०ए०आर०वाद सं०-62/2023-24**

**बिरसा कच्छप ..... आवेदक।**

**बनाम्**

**झगडू दास ..... विपक्षीगण।**

***आदेश***

आवेदक बिरसा कच्छप, पिता–स्व० सुधु कच्छप, निवासी ग्राम–बड़ा घाघरा, खुशबु टोली, थाना–बरियातु, जिला–राँची के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी जमीन झगडू दास, निवासी ग्राम–बड़ा घाघरा, खुशबु टोली, थाना–बरियातु, जिला–राँची ने छल प्रपंच कर जमीन हड़प लिये हैं।

**जमीन का विवरण**

| मौजा | थाना नं0 | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकबा |
|---|---|---|---|---|
| बड़ा घाघरा | 221 | 166 | 22 | 10 डी० |

यह आवेदक की खतियानी जमीन है खतियान में गैर–मजरूआ मालिक दर्ज है तथा लगान पाने वाले का नाम महाराजा प्रताप उदय नाथ शहदेव है। आवेदक अपने शपथ–पत्र में कहते हैं कि खाता सं०–166, प्लॉट सं०–22, मौजा–बड़ा घाघरा, थाना नं०–221, कुल रकबा–83 डिसमिल मध्ये–10 डिसमिल जमीन पर यह वाद लाए हैं। जिसे विपक्षी ने गैर–कानूनी तरीके से हड़प लिए हैं। साथ ही अपने शपथ–पत्र में वंशावली को दर्शायें हैं, जो इस प्रकार है, चामा उराँव अपने पीछे घानु उराँव एवं एतवा उराँव को छोड़ गये। एतवा उराँव अपने पीछे धानु उराँव एवं फौदा उराँव (नावल्द) को छोड़ गये। धानु उराँव अपने पीछे सुधु कच्छप, मोगा कच्छप एवं चमरा कच्छप को छोड़ गये। सुधा कच्छप अपने पीछे दशवा कच्छप, बिरसा कच्छप (आवेदक) एवं राजेश कच्छप को छोड़ गये। आवेदक द्वारा यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत भू–वापसी के लिए लाया गया है। आवेदक का कहना है कि

20/12/25

कृ०पृ०उल्टे

20/12/25 यह मेरी जमीन है, जिसे विपक्षी छल–प्रपंच कर जबरन हड़प लिए हैं। मैंने तथा हमारे वंशजो ने कभी भी प्रश्नगत् जमीन को नहीं बेचा है।

आवेदक की ओर से चार गवाह प्रस्तुत किया गया है, गवाह सं०–01 बिरसा कच्छप, पिता–स्व० सुधु कच्छप अपने शपथ–पत्र में कहते हैं कि विपक्षी मेरी खतियानी जमीन पर कब्जा कर लिए हैं। मैं अनुसूचित जनजाति का सदस्य हूँ एवं विपक्षी सामान्य जाति से है। खतियान में गैर–मजरूआ मालिक दर्ज है। जो कि 1935 ई० में जमीन सेटलमेंट के द्वारा हमारे पूर्वजों को प्राप्त हुआ। पंजी–II में हमारे पूर्वजों का नाम दर्ज है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि खतियानी में गैर–मजरूआ मालिक दर्ज है। रसीद चामा उराँव के नाम से कटता है।

आवेदक की ओर से गवाह सं०–02, शांति कच्छप, पति–स्व० अजय कच्छप अपने शपथ–पत्र में कहते हैं कि मेरे भाई बिरसा कच्छप के जमीन को द्वितीय पक्ष ने कब्जा कर लिया। आवेदक अनुसूचित जनजाति के है, जबकि विपक्षी सामान्य जाति के है। वर्णित भूमि पर परदादा खेती–बाड़ी करते थे। वर्तमान में भाई–भतीजा द्वारा खेती किया जाता है। चामा उराँव के नाम से रसीद कटता है।

आवेदक की ओर से गवाह सं०–03, अर्जुन कच्छप, पिता–स्व० मोगा कच्छप अपने शपथ–पत्र मे कहते हैं। मेरे भाई बिरसा कच्छप के जमीन को द्वितीय पक्ष ने कब्जा कर लिया। आवेदक अनुसूचित जनजाति के है, जबकि विपक्षी सामान्य जाति के है। वर्णित भूमि पर परदादा खेती–बाड़ी करते थे। वर्त्तमान में भाई–भतीजा द्वारा खेती किया जाता है। चामा उराँव के नाम से रसीद कटता है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि चामा उराँव मेरे परदादा है। जमीन गैर–मजरूआ मालिक है।

आवेदक की ओर से गवाह सं०–04, नरेश कुमार एक्का, पिता–स्व० पोड़हाई अपने शपथपत्र मे कहते हैं कि बिरसा कच्छप मेरे पड़ोसी है। बिरसा कच्छप के दादा–परदादा खेती–बाड़ी करते थे, जिसपर विपक्षी ने बलपूर्वक हड़प लिया है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि जमीन गैर–मजरूआ मालिक है। कितने रकबा का रसीद कटता है, मालूम नहीं है।

विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल की गई, इसमें कहते हैं कि यह वाद पोषणीय नहीं है। आवेदक ने सत्य से हटकर वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष

20/12/25

कृ०पृ०उल्टे

20/12/25

द्वारा लगाये गए, सारे आरोप गलत है। आर०एस० खतियान में गैर–मजरूआ मालिक दर्ज है इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत यह वाद चलने योग्य नहीं है। आवेदक द्वारा विपक्षी को परेशान करने के लिए वाद दायर किया गया है, इसलिए इस वाद को खारिज किया जाए।

विपक्षी की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किया गया। गवाह सं०–01, झगरू दास, पिता–बहतु दास अपने शपथ–पत्र में कहते हैं कि वर्णित प्लॉट में से 1.5 कट्ठा जमीन पर मेरा दखल है एवं उसपर 60–70 वर्षो से पक्का मकान बना हुआ है। बिरसा कच्छप द्वारा लाया गया वाद गलत है, क्योंकि जमीन की प्रकृति आदिवासी नहीं है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्नगत् जमीन से जुड़ा कोई भी वैध कागजात आवेदक के पास नहीं है। जमीन गैर–मजरूआ है, इसलिए इसपर केस नहीं किया जा सकता है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि विदित जमीन पर मैं होल्डिंग टैक्स एवं बिजली बिल अदा कर रहा हूँ। पक्का मकान बाद में बना था। मैं बिहार का हूँ एवं ताँती जाति से आता हूँ। कण्डिका–02 में जो जमीन खरीदने की बात लिखा है, उस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है और न ही इस केस में जमा किया गया हैं।

विपक्षी की ओर से गवाह सं०–02 जगरनाथ राय, पिता–स्व० गंगा प्रसाद अपने शपथ– पत्र में कहते हैं कि मैं दोनों पक्षों को जानता हूँ, विवादित जमीन के 1.5 कट्ठा जमीन के अंश पर झगरू दास का पक्का मकान बना हुआ है। जमीन गैर–मजरूआ खाते की है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि विपक्षी के घर बहुत दिनों से आना जाना है। मैंने खतियान देखा हैं, लक्ष्मण के किसी पूर्वज का नाम खतियान में नहीं है। झगरू दास के पास जमीन का पेपर हैं। एकरारनामा देखा हूँ जो लक्ष्मण मिंज के साथ हुआ है। शपथ–पत्र के पारा–04 में कहते हैं कि जमीन गैर–मजरूआ है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया, साथ ही लिखित बहस दाखिल किया गया, जिसमें कहते हैं कि आवेदन ने विपक्षी झगरू दास के विरूद्ध भू–वापसी के लिए केस किया है। खतियान में गैर–मजरूआ मालिक दर्ज है, लेकिन आवेदक के पूर्वजों को यह जमीन बन्दोबस्त किया गया है। इसके बाद आवेदक के पूर्वज के नाम पर लगान रसीद अंचल से निर्गत है तथा लगान भी दे रहे हैं। विपक्षी के पोषणीय के बिन्दु के आवेदन को खारिज किया जाए। गैर–मजरूआ मालिक जमीन को

20/12/25

कृ०पृ०उल्टे

20/12/25

भू–राजस्व निर्देशिका के अनुसार कोई भी खरीद नहीं सकता है। विपक्षी अपने कारणपृच्छा में कहें हैं कि गैर–मजरूआ मालिक जमीन पर आवेदक का हक नहीं बनता है। विपक्षी ने लक्ष्मण मिंज से जमीन खरीदा है। विपक्षी के दादा कानपुर चन्द्र दास ने सादा हुकूमनामा से यह जमीन दिनांक–26.06.1945 ई० को महाराजा प्रताप उदयनाथ शहदेव से खरीदा है। आवेदक चामा उराँव के वंशज है जो उराँव जनजाति से हैं। इस जमीन पर विपक्षी ने 10 डिसमिल जमीन को गैर–कानूनी रूप से कब्जा कर लिए है। इसलिए इस जमीन को आवेदक को वापस किया जाए।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया, साथ ही लिखित बहस दाखिल किया गया, जिसमें कहते हैं कि यह वाद आवेदक बिरसा कच्छप के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71 "A" के अंतर्गत कुल रकबा–83 डिसमिल में से 1.5 कट्ठा जमीन विपक्षी के पास है। विपक्षी ने अपने कारणपृच्छा के साथ गवाह भी प्रस्तुत किये है। आर०एस० खतियान में गैर–मजरूआ मालिक दर्ज है। आवेदक के गवाह कहते हैं कि यह जमीन गैर–मजरूआ है। इसलिए आवेदक का इस जमीन पर कोई हक नहीं बनता है। विपक्षी ने 1.5 कट्ठा जमीन पर 60–70 वर्ष पहले घर बनाये हैं। विपक्षी को यह जमीन हुकुमनामा के माध्यम से महाराजा प्रताप उदयनाथ शहदेव के द्वारा दिनांक–26.06.1945 ई० को बन्दोबस्त किया गया है। इसके बाद से ही वे घर–मकान बनाकर रह रहे हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71 "A" सिर्फ अनुसूचित जनजाति के जमीन पर लागू होता है। आवेदक के लगान रसीद से मालिकाना हक सिद्ध नहीं होता है। यह वाद पोषणीय नहीं है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाए।

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने, एवं कागजातों के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहूँचे हैं कि यह वाद स्वत्व का है। इसलिए उभय पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। इस विश्लेषण के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

20/12/25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

20/12/25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2026.01.05 17:04:06 +05:30
Location: 192.168.205.39